विविध सीलिंग वाद सं0–4/10 मसो0 माया देवी एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.02.18	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी नं0–5690/2001 मसो0 माया देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.06.10 को पारित आदेश के आलोक में आवेदिका की ओर से दाखिल अभ्यावेदन पर प्रारंभ किया गया है। भूहदबंदी वाद सं0–4/76–77 राज्य वनाम ए0पी0एस0 ट्रस्ट में भूहदबंदी के तहत अधिशेष घोषित किये जाने वाली जमीन को सभी सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अधिशेष घोषित किया गया। इस दौरान स्व कौशल किशोर प्र0 सिंह की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल नही किया गया। जब गजट का प्रकाशन 01.09.90 को किया गया। उसके पश्चात् कौशल किशोर प्र0 सिंह द्वारा आपत्ति आवेदन–पत्र दाखिल किया गया था। उक्त आपत्ति आवेदन पत्र को वाद सं0–112/90 में सुनवाई करते हुए उसे खारीज कर दिया गया। इसके पश्चात् आवेदक सीलिंग एक्ट की धारा 37 के अन्तर्गत एक वाद समाहर्त्ता के न्यायालय मे वाद सं0–27/93 प्रारंभ किया गया। तत्कालीन समाहर्त्ता द्वारा सीलिंग एक्ट की धारा–37 को विलोपित हो जाने के कारण दिनांक–21.11.95 को खारिज कर दिया गया। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–11535/95 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–13.02.96 को आदेश पारित किया गया। तथा वाद सं0–27/93 को पुनः सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में पुनः सुनवाई किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक का दावा गलत, आधारहीन एवं कालबाधित होने के कारण वाद को दिनांक–09.08.96 को खारीज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक कौशल किशोर प्र0 सिंह द्वारा माननीय राजस्व पार्षद, बिहार पटना में वाद सं0–68/96 दायर किया गया। माननीय राजस्व पर्षद् बिहार, पटना द्वारा दिनांक–18.12.97 को वाद खारीज कर दिया गया। आवेदक उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5690/01 दायर किया गया जिसमें दिनांक–22.06.10 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रश्नगत अधिशेष	

खेसरा सं0–1889 एवं 1891 की जमीन को मुक्त करते हुए आवेदिका के पक्ष में करने का निदेश दिया गया।

भू–हदबंदी वाद सं0–4/76–77 राज्य वनाम ए0पी0एस0 ट्रस्ट में भू–हदबंदी धारा–11 के अन्तर्गत दिनांक–01.09.90 को प्रकाशित गजट में मौजा–नावकोठी थाना–179 तौजी नं0–779 खाता नं0–1226 खेसरा नं0–1889 रकवा 0.61 डी0 जमीन का अधिशेष घोषित कर दिया गया। विवादग्रस्त खेसरा नं0–1889 एवं 1891 रकवा 0–15–12–0 धूर एवं 0–18–2 धूर है खतियान में प्रश्नगत खेसरा गैरमजरूआ मालिक के रूप में चल रही है। टाईटिल सूट सं0–58/17 के द्वारा आपसी बंटवारा में प्रश्नगत तौजी के खेसरा की जमीन आवेदक के पूर्वज बाबू भगवान प्र0 सिंह के हिस्से में पड़ी थी। प्रश्नगत खेसरा की जमीन तौजी सं0–779 खेसरा 1889 जो 1932 के ट्रस्ट डीड में सीलिंग की कार्यवाही में समाहित था। कलान्तर में 1945 में बने ट्रस्ट डीड में प्रश्नगत तौजी सं0–779 के जमीन को बाहर कर दिया गया। इस तरह उपर वर्णित तौजी ट्रस्ट डीड का कभी भी Part नही था।

"The properties situated in Thana Dalsinghsarai and Teghra and also Begusarai bearing T. Nos. 790, 660, 778, 780, 779 Tafriq 8-9 mentioned in the trust deed do not from part of the trust deed which is hereby cancelled" (Part of the trust deed 1945 signed by AyodhyaPrasad Singh)

परन्तु भू–हदबंदी वाद सं0–4/76–77 राज्य वनाम ए0पी0एस0 ट्रस्ट में खेसरा नं0–1889 को अधिशेष घोषित कर दिया गया। पट्टीदारी के अनुसार खाता सं0–1226 खेसरा नं0–1889 रकवा 0.61 डी0 आवेदक के हिस्से में है तथा आवेदक ने दफा 5, 6 एवं 7 के अन्तर्गत लगान कायम कराकर 1961 से लगान रसीद कटा रहें है। पंजी–02 में तौजी नं0–779 जमाबंदी सं0–12 आवेदक के नाम दर्ज है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के पूर्व तक प्रश्नगत खेसरा नं0–1889 में लगे आम लीची के पेड़ की वन्दोवस्ती फलकर के रूप में की जाती थीं। आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5690/2001 दायर किये जाने एवं लंबित रहने के कारण प्रश्नगत खेसरा को फलकर सैरात से मुक्त कर दिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, नावकोठी द्वारा आवेदक के पूर्वज के वंशावली एवं भूधारी स्व0 अयोध्या प्र0 सिंह का वंशावली

अलग–अलग प्रस्तुत किया गया। दोनों के वंशावली के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के पूर्वज एवं स्व0 अयोध्या प्र0 सिंह(ए0पी0एस0 ट्रस्ट) के बीच कोई संबंध नही है।

अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वंशावली निम्न प्रकार दिया गया।

वंशावली–I

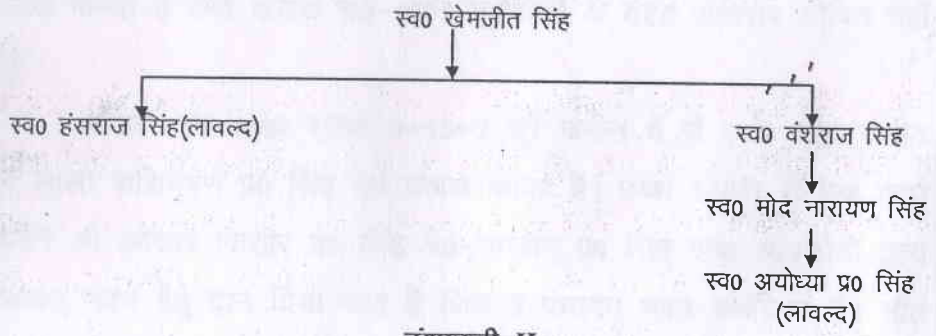

वंशावली–II

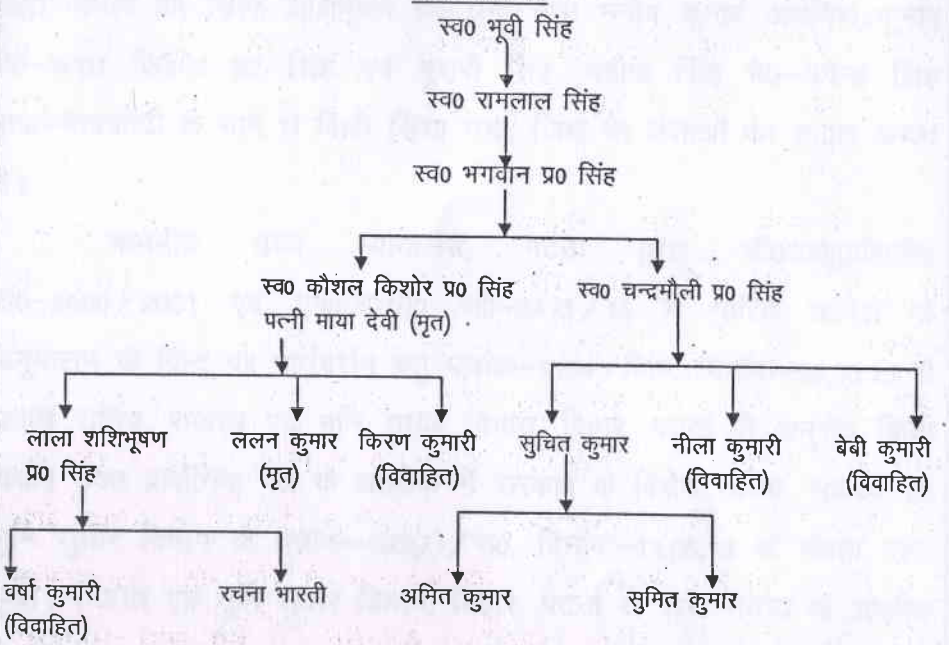

अंचल अधिकारी, नावकोठी से प्रश्नगत जमीन की अद्यतन स्थिति के संबंध में एवं दखल–कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, नावकोठी ने अपने पत्रांक–149 दिनांक–26.04.18 प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–नावकोठी थाना नं0–179 खाता नं0–1226 खेसरा नं0–1889 एवं 1891 खतियान में गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है। जिसका रकवा क्रमशः 0–15–02 धूर एवं 0–18–2 धूर है तथा किस्म परती कदीम है। प्रकाशित गजट में सिर्फ खाता नं0–1226 खेसरा 1889 रकवा–0.61 डी0 समतुल्य 0–15–2 धूर जमीन घोषित है। जिसका वितरण लाभार्थियों के बीच नहीं किया गया है।

खेसरा नं0–1891 रकवा 0–18–2 धूर जमीन में से 8(आठ) कट्ठा जमीन कौशल किशोर प्र0 सिंह के द्वारा 8(आठ) व्यक्तियों को पूर्व में ही बिक्री कर दिया गया तथा लगभग 0–10–0(दस कट्ठा) जमीन पर कौशल किशोर प्र0 सिंह के पुत्र लाला शशिभूषण प्र0 सिंह का मकानमय सहन एवं बगीचा के रूप में दखल कब्जा है तथा खेसरा सं0–1891 भूहदबंदी के तहत अधिशेष घोषित नहीं है।

खेसरा नं0–1889 रकवा 0–15–2 धूर जमीन में से सात कट्ठा जमीन पर लाला शशिभूषण प्र0 सिंह का दखल कब्जा है। उक्त खेसरा से एक कट्ठा जमीन श्री कौशल किशोर प्र0 सिंह पे0–भगवान प्र0 सिंह सा0–नावकोठी द्वारा पंचायत भवन हेतु दान दिया गया है जिसपर पंचायत भवन अवस्थित है। सात कट्ठा जमीन को लाला शशिभूषण प्र0 सिंह द्वारा मनीष कुमार, अवनिश कुमार पे0–अवध किशोर प्र0 सिंह एवं मुरारी सिंह, मनोज सिंह पे0–उपेन्द्र सिंह सा0–नावकोठी के नाम से बिक्री किया गया, जिस पर क्रेताओं का दखल कब्जा है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5690/2001 एवं एम0जे0सी0 सं0–2413/15 में पारित आदेश के अनुपालन के विन्दू पर मार्गदर्शन हेतु पत्रांक–1104/विधि, दिनांक–05.05.18 से प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया। उक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–498(7)/रा0, दिनांक–11.05.18 से मंतव्य प्राप्त हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विन्दुवार जांच कर सुस्पष्ट तथ्यभारित अनुशंसा देने हेतु अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मंझौल एवं अंचल अधिकारी, सदर बेगूसराय को सदस्य के रूप में रखा गया। उक्त गठित समिति द्वारा गजट, खतियान एवं संबंधित अभिलेख का जांच किया गया तथा जांच प्रतिवेदन तथ्यभारित अनुशंसा के साथ पत्रांक–06/मु0/रा0, दिनांक–03.07.18 द्वारा समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों पर विवेचन से यह पाया कि प्रश्नगत खेसरा सं0–1889 रकवा–0.61 डी0 जमीन पर विभिन्न स्वरूपों में आवेदक का दखल कब्जा चला आ रहा है तथा लगान रसीद भी कट रही है। भूहदबंदी वाद

	सं0–4/76–77 राज्य वनाम ए0पी0एस0 ट्रस्ट में प्रश्नगत खेसरा 1889 के रकवा 0.61 डी0 को अधिशेष घोषित कर दिया गया जो ए0पी0एस0 ट्रस्ट की नहीं थी। अधिशेष घोषित होने के पश्चात् भी उक्त खेसरा का वितरण नहीं किया गया। वंशावली के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के पूर्वज एवं ए0पी0एस0 ट्रस्ट के बीच किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध(ताल्लुकात) नहीं था। खेसरा नं0 1891 सीलिंग वाद का Part ही नहीं है। इसलिए उक्त खेसरा विचारनीय नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5690/01 में पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत खेसरा 1889 रकवा 0.61 डी0 जमीन को सीलिंग वाद सं0–4/76–77 से मुक्त किया जाता है। संशोधित गजट के प्रकाशन हेतु प्रारूप दें। लेखापित समाहर्त्ता बेगूसराय। 06.07.17 समाहर्त्ता, बेगूसराय।	